न्यायालय सहायक कलक्टर, भदेसर जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुश्री अंजू शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या
45/2022

प्राथमिक डिक्री दिनांक
08.02.2022

उनवान

गंगाराम पिता भूरा जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी खोखरिया खेडी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

........वादी

//बनाम//

1. भंवर लाल पिता किशना जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी खोखरिया खेडी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
2. भेरूलाल पिता भूरा जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी खोखरिया खेडी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
3. पुरूषोत्तम पिता हीरालाल जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी खोखरिया खेडी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
4. डालू पिता भूरा जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी खोखरिया खेडी तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
5. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

..........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की औैर से वाद पत्र हस्ब आदेश 7 नियम 1 व 2 जा. दि. के तहत निम्न आधारो पर पेश है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 तक की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि

परिशिष्ठ अः– ग्राम खोखरिया खेडी पटवार हल्का नपानिया तहसील भदेसर में खाता सं0 105 पर दर्ज आराजी नम्बर 133 रकबा 0.43 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 136 रकबा 0.42 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 137 रकबा 0.47 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 138 रकबा 0.11 हैक्टेयर, आराजी

Scanned with CamScanner

139 रकबा 0.45 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 140 रकबा 0.15 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 162 रकबा 0.13 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 205 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 206 रकबा 0.70 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 207 रकबा 0.02 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 208 रकबा 0.22 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 209 रकबा 0.06 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 210 रकबा 1.99 हैक्टेयर कुल किता 13 कुल रकबा 5.16 हैक्टेयर

परिशिष्ठ बः- ग्राम लुहारिया पटवार हल्का नपानिया तहसील भदेसर में खाता सं0 48 पर दर्ज आराजी नम्बर 520 रकबा 0.57 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। साक्ष्य में नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस संलग्न वाद पत्र है।

वाद पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित भूमि के परिशिष्ठ अ में वादी का 1/5 हक हिस्सा एवं शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का तथा परिशिष्ठ ब में वादी का 1/8वां हिस्सा एवं शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का निहित होकर उभयपक्ष अपने नाम दर्ज हक हिस्से के अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है परन्तु खाता सामलाती होने एवं आराजीयात का बंटवाडा नहीं होने से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आये दिन रकबा कमी बेशी, लगान अदायगी व मेर पाली को लेकर विवाद होता रहता है। इसलिये वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार कब्जे को ध्यान में रखते हुए बंटवाडा किये जाने हेतु वाद पत्र पेश है।

यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 01 के परिशिष्ठ अ एवं ब में वर्णित आराजीयात का विधिवत बंटवाडा नहीं होकर संयुक्त खातेदारी में दर्ज है इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण आराजीयात का बंटवाडा कराये बिना ही आराजीयात अन्य को रहन,बह,बक्षीस व दिगर तरीके से हस्तांतरित करने पर आमादा हो रहे है एवं आये दिन वादी के साथ मेर पाली रकबा कमी बेशी को लेकर विवाद करते रहते है जिससे प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है कि जब तक वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित परिशिष्ठ अ एवं ब की आराजीयात का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार विधिवत बंटवाडा नहीं हो जावे तब तक प्रतिवादीगण आराजीयात की एक इंच भूमि किसी अन्य से रहन,बह,बक्षीस व दिगर तरीके से मुंतकील न तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे एवं

Scanned with CamScanner

कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे ना किसी ...य से करावे।

यह कि बिनाय वाद कारण दिनांक 04.09.2021 को वादी ने प्रतिवादीगण से आपसी सहमति से बंटवाडा कराने हेतु निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण के तैयार नहीं होने से पैदा होकर हर दिन जारी है।

अतः प्रार्थना है कि पक्ष वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित परिशिष्ठ अः- ग्राम खोखरिया खेडी पटवार हल्का नपानिया तहसील भदेसर में खाता सं0 105 पर दर्ज आराजी नम्बर 133 रकबा 0.43 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 136 रकबा 0.42 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 137 रकबा 0.47 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 138 रकबा 0.11 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 139 रकबा 0.45 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 140 रकबा 0.15 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 162 रकबा 0.13 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 205 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 206 रकबा 0.70 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 207 रकबा 0.02 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 208 रकबा 0.22 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 209 रकबा 0.06 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 210 रकबा 1.99 हैक्टेयर कुल किता 13 कुल रकबा 5.16 हैक्टेयर एवं परिशिष्ठ बः- ग्राम लुहारिया पटवार हल्का नपानिया तहसील भदेसर में खाता सं0 48 पर दर्ज आराजी नम्बर 520 रकबा 0.57 हैक्टेयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार कब्जे को ध्यान में रखते हुए बंटवाडा किये जाने की डिक्री सादिर फरमाई जावे। तथा वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित परिशिष्ठ अ एवं ब की कृषि आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत बंटवाडा नहीं हो जावे तब तक प्रतिवादीगण उक्त कृषि भूमि या किसी भी भाग को किसी अन्य को रहन,बह,बक्षीस व दिगर तरीके से हस्तांतरित एवं वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी आदि नहीं करे ना ऐसा अन्य से करावे इस हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की डिक्री सादिर फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। लायक अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी जिन्होनें वाद वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए वाद स्वीकार किये जाने इस्तदुआ करते हुए निवेदन किया कि वाद पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित परिशिष्ठ अ एवं ब की कृषि आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण का राजस्व

में दर्ज हक हिस्से अनुसार कब्जे को ध्यान में रखते हुए बंटवाडा कराया का आदेश फरमावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह जाहिर आया कि वाद पत्र केवल बंटवाडे का है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आलोक में वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाता है कि परिशिष्ठ अः- ग्राम खोखरिया खेडी पटवार हल्का नपानिया तहसील भदेसर में खाता सं० 105 पर दर्ज आराजी नम्बर 133 रकबा 0.43 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 136 रकबा 0.42 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 137 रकबा 0.47 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 138 रकबा 0.11 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 139 रकबा 0.45 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 140 रकबा 0.15 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 162 रकबा 0.13 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 205 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 206 रकबा 0.70 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 207 रकबा 0.02 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 208 रकबा 0.22 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 209 रकबा 0.06 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 210 रकबा 1.99 हैक्टेयर कुल किता 13 कुल रकबा 5.16 हैक्टेयर तथा परिशिष्ठ बः- ग्राम लुहारिया पटवार हल्का नपानिया तहसील भदेसर में खाता सं० 48 पर दर्ज आराजी नम्बर 520 रकबा 0.57 हैक्टेयर कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार बंटवाडा किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भदेसर को 1000/- अक्षरे एक हजार रूपये फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव लगान फाटनी कर मय नक्शा ट्रेस उभय पक्ष की मौजूदगी में तैयार कराया जाकर एक माह में प्रस्तुत करें। विभाजन में संबंधित काश्तकार को अपनी जोत पर पहुंच मार्ग की व्यवस्था सुरक्षित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
भदेसर

Scanned with CamScanner